भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *30

दिनांक 02 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एम्स, देवघर

***30 श्रीमती महुआ माजी**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एम्स, देवघर का निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है और इसकी 750 बिस्तरों की पूर्ण क्षमता हासिल करने में विलंब हो रहा है, यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या एम्स, देवघर में स्वीकृत पदों की तुलना में विशेषज्ञों, डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की काफी कमी है, यदि हां, तो मंत्रालय इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रहा है और इन रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 2 दिसंबर, 2025 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *30 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत, झारखंड़ राज्य के देवघर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना की गई है। वर्तमान में, 35 विभागों जिनमें कॉर्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, सर्जिकल गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी आदि जैसे 25 बड़े स्पेशियलिटी विभाग और 10 सुपर-स्पेशियलिटी विभाग शामिल हैं, में 30 आपातकालीन बेड सहित 380 आईपीडी बेड संचालन में हैं। इस संस्थान में, ओपीडी में प्रतिदिन लगभग 1443 रोगियों का उपचार होता है। इस संस्थान में, अंतरंग रोगी बेड सहित विभिन्न विभागों का संचालन चरणबद्ध ढ़ंग से किया जाता है।

(ख) एम्स देवघर में स्वीकृत और तैनात पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

संकाय पद		गैर-संकाय पद	
स्वीकृत	तैनात	स्वीकृत	तैनात
208	133	1712	950

एम्स में पद सृजित करना और उनको भरना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एम्स देवघर सहित विभिन्न एम्स में रिक्त स्वीकृत पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) संकाय की भर्ती के लिए एम्स अधिनियम, 1956 के प्रावधान के तहत स्थायी चयन समिति (एसएससी) की स्थापना की गई है।

(ii) राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) और सरकारी चिकित्सा कॉलेजों (जीएमसी) से प्रोफेसर, अपर प्राध्यापक और सह प्राध्यापक के स्तर से सेवानिवृत 70 वर्ष की आयु तक के संकाय को अनुबंध के आधार पर शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

(iii) अतिथि संकाय स्कीम के अंतर्गत भारत के सरकारी संस्थानों अथवा विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के प्रोफेसर, अपर प्राध्यापक और सह प्राध्यापक को अध्यापन के उद्देश्य से एम्स में अतिथि संकाय के रूप में सेवा करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(iv) एम्स देवघर सहित विभिन्न एम्स हेतु नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती करने के लिए एम्स दिल्ली द्वारा नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (एनओआरसीईटी) आयोजित किया जाता है।

(v) एम्स देवघर सहित विभिन्न एम्स में ग्रुप बी और सी के गैर-संकाय पदों पर भर्ती के लिये एम्स दिल्ली द्वारा कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट (सीआरई) आयोजित किया जाता है।

(vi) जूनियर (शैक्षणिक) का चयन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (आईएनआई-सीईटी) एम्स, दिल्ली और सीनियर (शैक्षणिक) का चयन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सुपर स्पेशियलिटी (आईएनआई-एसएस) के माध्यम से किया जाता है, जिसे एम्स दिल्ली द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है।
